

उन शेयरधारकों का विवरण जिनके शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण करने शेष है

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और "विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के संशोधित ("नियम") के प्रावधानों के अनुसार, जिन शेयरों पर लाभांश के संबंध में या लगातार सात या उससे अधिक वर्षों के लिए शेयरधारकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है अथवा दावा नहीं किया गया है, ऐसे शेयर को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईपीएफ") प्राधिकरण के डिमेट खाते में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, जिनके शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए देय हैं, ऐसे शेयरधारकों के ब्योरे यहां दिए जा रहे हैं:

क्रमांक	फोलियो संख्या	शेयरधारक का नाम	पता	इक्विटी शेयरों की संख्या (रुपये 5 / - प्रत्येक)
1	18	ए अब्दुल रजाक	पणजी, गोवा	2700
2	30	गेब्रियल पिएदाद कुतिन्हो	चिंचिनिम, साल्सेत, गोवा।	900
3	35	सुश्री यूजेनिया डी अराउजो मैस्करेन्हास	ए -3, कुंडईकर नगर, दादा वैद्य रोड, पणजी, गोवा	674
4	42	क्लेटो अल्फ्रेडो सोरेस	सिकेटिम, नावेलिम, साल्सेत, गोवा	450
5	120	एना मारिया एच कार्वाल्हो	कांसवलीम, वेलसाव, बागवोरा, साल्सेत, गोवा	90
6	132	सदानंद वेंकटेशा पोय कोटो	एस.डी.ओ.टी, पणजी, गोवा	44
7	137	जोस रैमुन्ड सोजा	मिरवान बिल्डिंग, टॉप फ्लोर, 14, ऑर्मिस्टन रोड, इलेक्ट्रिक हाउस, मुंबई	44
8	142	शांतिलाल खुशालदास गोसालिआ	गोसालिआ बिल्डिंग, पीओ बॉक्स नं. 35, मडगांव, गोवा	44
9	158	सी वासुदेवदास	513, डॉ नंजाडपा स्ट्रीट, कोयंबटूर 641018	44
10	209	सम्पत अनंतसयनम	38, नॉर्थ कार स्ट्रीट, अंबा समुद्रम, तिरुनेवेली जिला तमिलनाडु	20
कुल				5010

अतः आपसे अनुरोध है कि 30 सितंबर, 2018 को या उससे पहले कंपनी से वित्त वर्ष 2010-11 से अदत्त लाभांश का दावा पेश करें। ऐसा न करने पर उपर्युक्त शेयरों को उचित तिथि पर आईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर सभी भावी लाभ और लाभांश भी आईपीएफ प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे। अपने लाभांश का दावा करने के लिए, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त पते पर हमें पत्र भेजें अथवा chhayajain@goashipyard.com पर ई-मेल करें ताकि आपकी संसूचना हमें 30 सितंबर 2018 को या उससे पूर्व प्राप्त हो सके। कृपया अपनी सूचना में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: (i) शेयरधारक का नाम, (ii) फोलियो सं. (iii) संपर्क संख्या, (iv) ईमेल आईडी, (v) पैन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति, (vi) पते के सबूत के तौर पर आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति और (vii) अपने बैंक खाते के विवरण सह रद्द की गई एक चेक।

आयईपीएफ में हस्तांतरण के पश्चात शेयर / लाभांशों पर दावा करने के संबंध में :

यदि आप आईईपीएफ में हस्तांतरण के बाद अपने शेयर / लाभांश के लिए दावा करना चाहते हैं, तो आईईपीएफ नियम के तहत निर्धारित आईईपीएफ प्राधिकरण को आईईपीएफ - 5 प्रपत्र में एक अलग आवेदन करना होगा, जो आईईपीएफ वेबसाइट पर उपलब्ध है, अर्थात् www.iepf.gov.in.

दावेदार, फॉर्म आईईपीएफ - 5 में आवेदन करने के बाद, उनका/उनकी विधिवत हस्ताक्षर के पश्चात, कथित की एक प्रति फॉर्म आईईपीएफ - 5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों सह उनका/उनकी दावे के सत्यापन के लिए नीचे दिए पते पर भेजें:

नोडल अधिकारी का नाम : श्रीमती छ्वाया जैन

पदनाम : कंपनी सचिव

कंपनी का नाम : गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

पता : वाडेम, वास्को-द-गामा, गोवा -403 802,

ईमेल : chhayajain@goashipyard.com

फोन : 0832 2513870